

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 147/2024(GCMS : 2024/211)


आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता – 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम कुमार

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 48 जीजी, श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर-335040 अन्य पता आहता नम्बर 979, 980, 981 व 982, पट्टा नम्बर 35, गांव 48 जीजी, श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. संदीप सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 48 जीजी, श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुरसूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर-335040
3. जसविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 48 जीजी, श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुरसूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर-335040
4. गुलाब सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी 23-24 आरबी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर-3350204

24.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूंड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. ने अप्रार्थीगण गुरदीप सिंह, संदीप सिंह, जसविन्द्र कौर एवं गुलाब सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरदीप सिंह की अचल सम्पत्ति आहता नम्बर 979, 980, 981 व 982 पट्टा नम्बर 35, गांव 48 जीजी, श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर जिसका साईज 13720 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।



जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर



मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गुरदीप सिंह, संदीप सिंह, जसविन्द्र कौर एवं गुलाब सिंह के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में गुरदीप सिंह की अचल सम्पत्ति आहता नम्बर 979, 980, 981 व 982 पट्टा नम्बर 35, गांव 48 जीजी, श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर जिसका साईज 13720 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर